



मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल- 462003

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)

MAULANA AZAD NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY BHOPAL- 462003

(An Institution of National importance under Ministry of Education, Govt. of India)

प्रशा./स्था./परिपत्र /2024/871

दिनांक: 09/08/2024

## परिपत्र

स्वतंत्र भारत के 77 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में 13 से 15 अगस्त, 2024 तक नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान “हर घर तिरंगा” शुरू किया गया है।

सभी कर्मचारियों और छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वे 13 से 15 अगस्त, 2024 तक राष्ट्रीय ध्वज फहराएँ ताकि “हर घर तिरंगा” अभियान को सफल बनाया जा सके। नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय ध्वज संहिता का पालन करने का भी अनुरोध किया जाता है।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किया जाता है।

सलंगन: भारतीय झंडा संहिता, 2002 (2021 एवं 2022 में यथासंशोधित)

## Circular

Nation is celebrating Azadi ka Amrit Mahotsav to commemorate the 77 glorious years of a progressive Independent India.

Under the aegis of Azadi ka Amrit Mahotsav, a campaign “HAR GHAR TIRANGA” has been launched to encourage the citizens to hoist the NATIONAL FLAG at their residence, from 13-15 August, 2024.

All the Employees and students are requested to hoist the National Flag at their residence from 13<sup>th</sup> – 15<sup>th</sup> August, 2024 to make the “HAR GHAR TIRANGA” campaign a resounding success. It is also requested to obey the mandatory Flag Code of India, to govern the usage of National Flag by the citizens.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Encl: Flag Code of India, 2002 (Amended in 2021 and 2022)

  
09/08/24  
उप कुलसचिव (स्था.)

To,  
All Employees/Students

### प्रतिलिपि:

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं केंद्राध्यक्ष—यह परिपत्र अपने विभाग/केंद्र में प्रसारित करने हेतु।
2. अध्यक्ष (छात्रपाल परिषद)।
3. प्रभारी प्राध्यापक(वेबसाइट)— वेबसाइट में अपडेट करने हेतु।
4. कुलसचिव के निज सचिव— कुलसचिव को सूचनार्थ।
5. निदेशक के निज सचिव— निदेशक को सूचनार्थ।